

85/22 राजकुमार - रामकापाल आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.6.23	<p>पत्रायली पेश। प्रकरण में रस्योर्ट की तमील रोष है। इस हेतु अपील रोष रस्योर्ट के सजिस्टर्ड नोटिस आदेश को पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। सजि अपील का शीकाशिशीत निस्तारण किया जा सके पत्रायली वास्ते तल्ली रिपोर्ट विनांक 14.7.23 को पेश हों।</p>
14.7.23	<p>पत्रायली पेश। प्रकरण में रस्योर्ट की तमील रोष है। इस हेतु अपील रोष रस्योर्ट के सजिस्टर्ड नोटिस आदेश को पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। सजि अपील का शीकाशिशीत निस्तारण किया जा सके पत्रायली वास्ते तल्ली रिपोर्ट विनांक 31.7.23 को पेश हों।</p>
31.7.23	<p>पत्रायली प्रस्तुत अभिभावक संघ ने कानून न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रायली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.8.23 को पेश हों।</p>
22.11.23	<p>पत्रायली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रस्यो. उपस्थित पीठारीन अधिकारी महोदय आज 22.11.23 पर हैं। अतः पत्रायली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.2.24 को पेश हों।</p>
21/2/24	<p>पत्रायली प्रस्तुत अभिभावक संघ ने कानून न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रायली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.5.24 को पेश हों।</p>
2.5.24	<p>पत्रायली पेश। वकील अपीलंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तमील से रोष नोटिस सजिस्टर्ड नोटिस पेश कर सन्या भागामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज किंगड तम अपीलंट ने रस्योर्ट के सजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि तमील अपीलंट के प्रति कमी नहीं है। फलतः अपीलंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रायली फेंसल सुभार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>

14/7/2023  
Cyl